कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून –248001
Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
election09@gmail.com फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्या–3388 /XXV – 31/ 2023 देहरादून : दिनांक 20 जून, 2024

सेवा में, **ELECTION-URGENT**

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
चमोली / हरिद्वार।

विषयः– **उत्तराखण्ड राज्य की बद्रीनाथ एवं मंगलौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन–2024, निर्वाचन प्रबंधन एवं संचालन हेतु तिथिवार आरोही क्रम में सांकेतिक कैलेण्डर (Indicative Calendar) का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–3310 दिनांक 13 जून, 2024 एवं पत्र संख्या–3373 दिनांक 18 जून, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके साथ 04–बद्रीनाथ एंव 33–मंगलौर विधान सभा से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन हेतु निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न क्रिया–क्लापों का समय पर संचालन एवं सम्पादन हेतु सांकेतिक कैलेण्डर (Indicative Calendar Part-I & Part-II) की प्रति प्रेषित की गयी थी।

2– निर्वाचन कार्यों की चरणवद्ध रूप से तिथिवार क्रिया कलापों के संचालन एवं सम्पादन हेतु उपरोक्त संदर्भित दोनों सांकेतिक कैलेण्डर (Indicative Calendar) की समस्त क्रिया कलापों को तिथिवार आरोही क्रम में (Date wise Ascending Order) पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि एक तिथि को सम्पादित की जाने वाली सभी क्रियाकलाप एक साथ प्रदर्शित हो सके और तदनुसार निर्धारित तिथि की उस कार्यवाही को सम्पादित किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि तदनुसार चरणबद्ध रूप से समयबद्ध कार्यक्रमानुसार आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु सभी संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें। समय–समय पर कैलेण्डर के आलोक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा भी की जाएगी।

संलग्नक–यथोपरि। भवदीय

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

विधान सभा उप निर्वाचन–2024
निर्वाचन प्रबंधन एवं संचालन हेतु सांकेतिक कैलेण्डर (Indicative Calendar)
तिथिवार आरोही क्रम में (Date wise Ascending Order)

क्रं.सं.	कार्यवाही	कार्रवाई जिसके द्वारा सम्पादित की जाएगी	अनुमानित दिनांक
1	2	3	4
1.1–	04–बद्रीनाथ एवं 33–मंगलौर विधान सभा उप निर्वाचन हेतु आयोग के प्रेस नोट संख्या–ECI/PN/ 120 /2024 दिनांक 10 जुलाई, 2024 द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा तथा आचार संहिता प्रभावी होना।	DEO / RO	**10.06.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ**
1.2–	निर्वाचन के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हतु जनपद चमोली / हरिद्वार में CrPC की धारा–144 लागू करना।	DM	**10.06.2024**
1.3–	FST, SST, VST आदि टीमों का गठन एवं तैनाती सुनिश्चित करना।	DEO/RO	**10.06.2024**
1.15–	Integrated निर्वाचन कन्ट्रोल रूम की स्थापना करना, शिफ्टवार अधिकारियों / कर्मचारियों की तैनाती (जिसमें पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग की सहभागिता अनिवार्य हो) करना।	DEO/SSP/SP/ RO/Excise	**10.06.2024 से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक** (24X7)
1.22–	उप निर्वाचनों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या–437/6/ INST/ECI/ FUNCT/MCC/2024 (Bye-Election) दिनांक 02 जनवरी, 2024 के प्रस्तर–II,III – VI तथा आयोग द्वारा तद् विषय समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन में आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः का अनुपालन सुनिश्चित करना।	DEO/SSP/ SP/RO	**10.06.2024 से 15.07.2024 तक**
1.5–	विभागीय वेबसाईट से राजनैतिक पदाधिकारियों के फोटोग्राफ (यदि कोई हो) हटाया जाना।	DEO/RO	**11.06.2024 (पूर्वान्ह 11.00)**
1.6–	सरकारी सम्पत्ति पर मौजूद सभी प्रकार के भित्ति लेखन (वॉल राइटिंग), पोस्टर्स / पेपर्स या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआऊट / होर्डिंग, बैनर, फ्लैग आदि को **24 घण्टे के भीतर हटाना।**	DEO/RO/SSP-SP/ Urban Development	**11.06.2024 (पूर्वान्ह 11.00)**
7.1–	विभिन्न श्रेणी के अनुपस्थित मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान किए जाने हेतु BLO के माध्यम से फार्म–12डी का वितरण एवं एकत्र करना।	RO/ARO/BLO	**11.06.2024 से 19.06.2024 तक**

1.7–	सार्वजनिक स्थान जैसे रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों, रेलवे पुलों, रोडवेजों, सरकारी बसों, बिजली/टेलीफोन के खंभो, नगर निगम/ नगर पालिका/स्थानीय निकाय भवनों आदि में भित्ति लेखन (वॉल राइटिंग), पोस्टर्स/ किसी अन्य रूप में विरूपण के पर्चे कटआऊट/होर्डिंग्स, बैनर्स झण्डे आदि सभी अनधिकृत राजनैतिक विज्ञापन को **48 घण्टे के भीतर हटाना।**	DEO/RO/SSP-SP/ Urban Development	**12.06.2024 (पूर्वान्ह 11.00)**
1.16–	निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों के प्रबंधन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण के लिए आयोग द्वारा निर्धारित कम से कम–16 नोडल ऑफिसरों की नियुक्ति करना तथा उनके सहयोग हेतु सहायक नोडल ऑफिसरों की नियुक्ति। (डीईओ चैकलिस्ट टेबल–4 पेज–13,14)	DEO	**12.06.2024 तक**
5.1–	सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति।	DEO/RO	**12.06.2024 तक**
6.1–	**FLC of EVM & VVPATs** (ECI instruction No. 51/8/INST/2022-EMS Dated 13th September 2022 & Manual on EVM & VVPAT August-2023 Chapter Chapter-2)	DEO/Dy. DEO	**12.06.2024 से 15.06.2024 तक**
6.2–	FLC के दौरान चरणबद्ध रूप से Generate VVPAT Mock Poll Print Slips को दैनिक आधार पर Paper Shredding मशीन से अनिवार्य रूप से नष्ट करना।	DEO/Dy.DEO	**12.06.2024 से 15.06.2024 तक निरन्तर**
1.8–	निजी सम्पत्ति पर प्रदर्शित तथा स्थानीय विधि एवं न्यायालय के निर्देशों, (यदि कोई हो) के अध्यधीन सभी अनधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों को **72 घण्टे के भीतर हटाना।**	DEO/RO/SSP/SP/ Urban Development	**13.06.2024 (पूर्वान्ह 11.00)**
1.10–	मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ उप निर्वाचन कार्यक्रम एवं आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में बैठक करना।	DEO/SSP/SP/RO	**13.06.2024 एवं निरन्तर अंतराल पर**
1.12–	विभिन्न Enforcement Agencies के साथ बैठक	DEO/RO	**13.06.2024 एवं निरन्तर अंतराल पर**
1.13–	निर्वाचन व्यय लेखों के रखरखाव हेतु विभिन्न सामग्री की रेट लिस्ट तैयार कर प्रकाशित करना।	DEO	**13.06.2024 त्क**
1.14–	उप निर्वाचन कार्यक्रम एवं आदर्श आचार संहिता तथा निर्वाचन से संबंधित गतिविधि के संदर्भ में मीडिया के साथ बैठक/प्रेस कॉन्फ्रेंस करना।	DEO/RO	**13.06.2024 एवं निरन्तर अंतराल पर**

1.4–	आयोग के पत्र संख्या–437/6/INST/ ECI/FUNCT/ MCC/ (BYE ELECTION) दिनांक 02 जनवरी, 2024 में प्रस्तर–IV (1-7) में निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों के स्थानान्तरण/तैनाती की कार्यवाही (यदि कोई हो)	DEO/RO	**14.06.2024**
1.11–	विभिन्न लाईन डिपार्टमेंट यथा शिक्षा विभाग, पेयजल, पॉवर कार्पोरेशन, पीडब्ल्यूडी, शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज, ग्राम्य विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आबकारी विभगा आदि के साथ बैठक।	DEO/RO	**14.06.2024 तक एवं निरन्तर अंतराल पर**
1.17–	अन्तर्राज्यीय बॉर्डर (यदि कोई हो) मीटिंग करना।	DEO/SSP/SP/RO	**14.06.2024 एवं निरन्तर अंतराल पर**
1.20–	ऐसे विकास कार्यों/निर्माण कार्यों की सूची तैयार करना जो धरातल पर प्रारम्भ हो चुके हैं या प्रारम्भ नहीं हुए है।	DEO	**14.06.2024 तक**
1.21–	भारत निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या–437/6/ INST/ECI/ FUNCT/MCC/2024 दिनांक 01 मार्च, 2024 में जारी निर्देशों के आलोक में राजनैतिक दलों को आयोग द्वारा जारी एडवाइजरी से अवगत कराना।	DEO/SSP/SP	**14.06.2024 तक**
2.1–	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा–150 की उपधारा (1) एवं धारा–30 और धारा–56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना (अधिसूचना की अग्रिम प्रति प्राप्त)	ECI / CEO	**14.06.2024**
2.2–	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा–31 के साथ पठित निर्वाचनों का संचालन नियम–1961 के नियम–3 में निहित प्राविधानों के अनुसार प्रारूप–1 पर (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशित करना एवं नामनिर्देशन की प्रक्रिया प्रारम्भ करना।	RO	**14.06.2024 पूर्वान्ह 11:00 बजे**
2.2–	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा–35 के अनुसरण में निर्वाचनों का संचालन नियम–1961 के नियम–7 में निहित प्राविधानों के अनुसार प्रारूप–3क पर (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) नामनिर्देशन की दैनिक सूचना तैयार करना एवं उसका प्रेषण।	RO/ARO/DEO	**14.06.2024 से 21.06.2024 तक**

2.13–	रिटर्निगं आफिसर हस्तपुस्तिका के अध्याय–5 पैरा–5.11.2 में अंकित चैकलिस्ट का अक्षरशः अनुपालन करना। चैकलिस्ट दोहरी प्रति (कॉर्बन कॉपी में तैयार की जाएगी)	RO/ARO	**14.06.2024 से 21.06.2024**
2.14–	रिटर्निगं ऑफिसर हस्तपुस्तिका के अध्याय–5 के प्रस्तर–5.12 में निहित प्राविधानों के अनुसार नामनिर्देशित अभ्यर्थी से निर्धारित घोषणा पत्र के साथ नामनिर्देशन के समय फोटोग्रॉफ प्राप्त करना।	RO/ARO	**14.06.2024 से 21.06.2024**
2.15–	यदि कोई अभ्यर्थी अपने नामनिर्देशन–पत्र के साथ फार्म–26 पर प्रस्तुत शपथ–पत्र के बिन्दु संख्या–5/6 में लम्बित/दोषसिद्ध आपराधिक पूर्ववृत (Criminal Antecedent) के संबंध में सूचना प्रदर्शित करता है तो मा. उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के अनुपालन में आयोग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के आलोक में ऐसी सूचनाओं को संबंधित अभ्यर्थी/राजनैतिक दल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक/प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशन किए जाने हेतु नोटिस जारी करना।	RO/ARO संबंधित अभ्यर्थी को प्रारूप– C-3 में नोटिस जारी किया जाएगा।	**14.06.2024 से 21.06.2024 (ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, उसके द्वारा नामनिर्देशन प्रस्तुत करते समय)**
2.18–	प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अपने नामनिर्देशन–पत्र के साथ प्रारूप–26 में प्रस्तुत शपथ–पत्र की फोटो प्रति RO कार्यालय के सूचना पट पर/अन्य सहज दृश्य स्थान पर सर्वसाधारण की जानकारी के लिए चस्पा करना एवं CEO/ECI वेबसाईट पर अपलोड करना।	RO/ARO	**14.06.2024 से 21.06.2024 तक (जिस दिन भी कोई नामांकन प्राप्त होगा)**
2.20–	प्रत्येक अभ्यर्थी से हिन्दी तथा अंग्रेजी में उसके नाम की वर्तनी (Speling) (In Capital Letter) लिखित में प्राप्त करना ताकि प्रारूप–7क एवं मतपत्र में नाम की सही वर्तनी प्रिन्ट की जा सके।	RO/ARO	**14.06.2024 से 21.06.2024 तक (जिस दिन भी कोई नामांकन प्रस्तुत करेगा)**
2.21–	निर्वाचन व्यय लेखों के रख–रखाव हेतु नामनिर्देशित प्रत्येक अभ्यर्थी को अलग बैंक खाता खोलने हेतु नोटिस प्रदान करना/अनुरोध करना।	RO/ARO	**14.06.2024 से 21.06.2024 तक (जिस दिन भी कोई नामांकन प्रस्तुत करेगा)**
2.22–	निर्वाचन व्यय लेखों के दैनिक रख–रखाव हेतुः– 1–Annexure-48 Part-A पर व्यय लेखा रजिस्टर, 2– Part-B पर कैश रजिस्टर,	RO/ARO	**14.06.2024 से 21.06.2024 तक (जिस दिन भी कोई नामांकन प्रस्तुत करेगा)**

	3– Part-C पर बैंक रजिस्टर के साथ–साथ, 4–रिटर्निंग ऑफिसर हस्तपुस्तिका–2023 के पृष्ठ संख्या–392 से 405 में अंकित निर्देशों/प्रारूपों की प्रति प्रत्येक नामनिर्देशित अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना। (रिटर्निंग ऑफिसर हस्तपुस्तिका अध्याय–5 पैरा–5.28 से 5.29)		
2.23–	रिटर्निंग ऑफिसर हस्तपुस्तिका–2023 के पृष्ठ संख्या–321 पर Annexure-19 पर निर्वाचन कानून के अन्तर्गत दण्डात्मक प्रावधानों के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण, चुनावी अपराध एवं भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं के उद्धरण की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्रत्येक नामनिर्देशित अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना।	RO/ARO	**14.06.2024 से 21.06.2024 तक (जिस दिन भी कोई नामांकन प्रस्तुत करेगा)**
2.24–	रिटर्निंग ऑफिसर हस्तपुस्तिका–2023 के पृष्ठ संख्या–322 में Annexure-20 पर अभ्यर्थी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से प्राप्त करना। (रिटर्निंग ऑफिसर हस्तपुस्तिका अध्याय–5 पैरा–5.27)	RO/ARO	**14.06.2024 से 21.06.2024 तक (जिस दिन भी कोई नामांकन प्रस्तुत करेगा) अथवा विलम्बत्तम 26.06.2024 तक**
2.25–	निर्वाचनों का संचालन नियम–1961 के नियम–12 (1) में निहित प्राविधानों के अनुसरण में अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति किए जाने हेतु प्रत्येक नामनिर्देशित अभ्यर्थी को प्रारूप–8 की कम से कम दो प्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना।(रिटर्निंग ऑफिसर हस्तपुस्तिका अध्याय–5 पैरा–5.25)	RO/ARO	**14.06.2024 से 21.06.2024 तक (जिस दिन भी कोई नामांकन प्रस्तुत करेगा)**
2.26–	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा–127क में निहित प्राविधानों के अनुसार पम्पलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण के सम्बन्ध में नामनिर्देशित अभ्यर्थियों को सूचित करना। (रिटर्निंग ऑफिसर हस्तपुस्तिका अध्याय–5 पैरा– 5.30)	RO/ARO	**14.06.2024 से 21.06.2024 तक (जिस दिन भी कोई नामांकन प्रस्तुत करेगा)**
2.27–	नामनिर्देशित अभ्यर्थी को Handbook For Candidate-2023 की एक प्रति उपलब्ध कराना। (आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर आवश्यक संख्या में स्थानीय स्तर पर मुद्रित करवाकर स्पाइरल वाइडिंग करवाया जा सकता है।)	DEO/RO/ARO	**14.06.2024 से 21.06.2024 तक (जिस दिन भी कोई नामांकन प्रस्तुत करेगा)**

2.28–	आयोग के आदर्श आचार संहिता सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों, तथा आचार संहिता के सम्बन्ध में जारी दिनांक 02 जनवरी, 2024 के निम्न निर्देशों की प्रति नामनिर्देशित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराना :– 1–निर्वाचन के दौरान वाहनों का प्रयोग 2–क्या करें क्या न करें, 3–इलेक्शन मैनिफेस्टो 4–सेलिब्रेशन ऑफ इम्पोर्टेटं डे 5–चुनावी प्रचार 6–विज्ञापन प्रकाशन एवं प्रसारण 7–लोक सभा / विधान सभा उप निर्वाचन 8–निर्वाचन के दौरान मा. मंत्रीगणों का भ्रमण	RO/ARO	**14.06.2024 से 21.06.2024 तक (जिस दिन भी कोई नामांकन प्रस्तुत करेगा)**
2.29–	प्रत्येक नामनिर्देशित अभ्यर्थी को उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम–2003 (संख्या–502 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2003 दिनांक 19 जनवरी, 2004) तथा उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण नियमावली–2009 (संख्या–248 / IV(1) / 2009)–02(49) / 2009 दिनांक 10 फरवरी, 2009 की प्रति उपलब्ध कराना।	RO/ARO	**14.06.2024 से 21.06.2024 तक (जिस दिन भी कोई नामांकन प्रस्तुत करेगा)**
4.1–	केन्द्र / राज्य सरकार के विभिन्न विभाग / कार्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों आदि के अधिकारियों / कर्मचारियों / शिक्षकों आदि का पूर्व की भाँति नियत प्रारूप पर डाटाबेस तैयार करना।	DEO	**14.06.2024 तक**
5.2–	सेक्टर / जोनल मजिस्ट्रेटों को मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया, कानून व्यवस्था एवं EVM आदि का प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ–साथ उनके सेक्टर की **VM-1** रिपोर्ट उपलब्ध कराना।	DEO/RO	**15.06.2024 तक**
4.12–	सहायक व्यय लेखा प्रेक्षक एवं व्यय लेखा टीम को निर्वाचन व्यय लेखों की निगरानी आदि के सम्बन्ध में SLMT के द्वारा प्रथम प्रशिक्षण प्रदान करना।	DEO/RO	**16.06.2024 तक**
5.3–	सेक्टर मजिस्ट्रेटों द्वारा अपने–अपने सेक्टर के मतदेय स्थलों / क्षेत्रों का भ्रमण करना एवं **VM-2** पर मतदेय स्थलवार / क्षेत्रवार विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना।	SM/RO	**16.06.2024 से 20.06.2024 तक**
4.2–	मतदान कार्मिकों का **First Randomization** (120%) तथा Order Generate करना। (आयोग के पत्र संख्या–464/INST/2022/EPS दिनांक 15 मार्च, 2023 तथा रिटर्निगं ऑफिसर हस्तपुस्तिका–2023 अध्याय–3)	DEO	**17.06.2024**

6.3–	FLC के पश्चात अधिकत्तम 10% FLC OK मशीनों को प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन हेतु अलग करना एवं इन मशीनों पर पीले कलर का निर्धारित स्टीकर चस्पा करना, तथा EMS में अपडेट करना। (इवीएम मैनुअल का अध्याय–3 एवं 5)	DEO/Dy.DEO	**18.06.2024 तक**
8.1.	विधान सभा उप निर्वाचन हेतु ERO Net में Label में आवश्यक परिवर्तन/संशोधन के पश्चात :– 1–VIS (वोटर इन्फॉरमेशन स्लिप) एवं वितरण रजिस्टर की ERO Net से PDF तैयार करना। 2–निर्वाचक नामावली की ERO Net से PDF तैयार करना। 3–Alphabetical Roll की PDF तैयार करना।	DEO/ERO	**18.06.2024 तक**
8.2–	उपरोक्तानुसार मतदेय स्थलवार PDF तैयार करने के पश्चात प्रत्येक PDF की भली–भाँति से जांच कर विशेष वाहक के द्वारा उन्हें अधिकृत वेण्डर को लेजर प्रिन्टिग हेतु उपलब्ध कराना।	DEO/ERO	**18.06.2024 अपरान्ह 05:00 बजे तक**
4.3–	प्रथम रेण्डामाईजेशन के अनुसार विभागवार नियुक्ति आदेशों के साथ समस्त कार्मिकों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा हेतु फार्म–12 की तामीली करना।	DEO	**19.06.2024 तक**
5.4–	सेक्टर मजिस्ट्रेटों द्वारा अपने–अपने सेक्टर के मतदेय स्थलों/क्षेत्रों **VM-3** पर VM की सार रिपोर्ट RO को प्रस्तुत करना। (VM-2 की प्रति सहित)	SM/RO	**20.06.2024 तक**
6.15–	मतदाता जागरूकता एवं प्रदर्शन के लिए भौतिक रूप से मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा बल्कि केवल Digital Outreach के माध्यम से मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता अभियान संचालित एवं सम्पादित करना, जिसमें शत–प्रतिशत मतदेय स्थल कवर हो सकें। (ईवीएम मैनुअल अध्याय–5)	DEO/RO	**20.06.2024 से 30.06.2024 तक**
1.19–	विधान सभा/बूथ स्तरीय इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान तैयार करना (AEMP & BEMP)	DEO/RO	**21.06.2024 तक**
2.3–	नामनिर्देशन के अंतिम दिनांक को रिटर्निगं ऑफिसर हस्तपुस्तिका–2023 के अध्याय–5 के प्रस्तर–5.24.3 (पृष्ठ–58 एवं 59) में नियत प्रारूप पर नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) तैयार करना एवं उसका प्रेषण।	RO/ARO/DEO	**21.06.2024 अपरान्ह 03.00 बजे**

2.8–	किसी अभ्यर्थी के द्वारा अपने नामनिर्देशन पत्र के साथ संबंधित राजनैतिक दल **(मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय राजनैतिक दल अथवा पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल)** द्वारा अपने नाम निर्देशन के साथ **फार्म–ए एवं फार्म–बी (मूल रूप में स्याही से हस्ताक्षरित) प्रस्तुत न करना।** निर्दलीय अभ्यर्थी पर यह लागू नहीं होगा। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अपने नामनिर्देशन– पत्र के साथ फार्म–26 पर निर्धारित शपथ–पत्र प्रस्तुत न करना।	RO/ARO नामनिर्देशन–पत्र प्राप्त करते समय नामनिर्देशन पत्र/पत्रों की सामान्य जांच के पश्चात संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया जाएगा।	**21.06.2024 को अपरान्ह 03.00 बजे तक रिटर्निगं आफिसर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए (यदि कोई हो)**
3.1–	डाक मतपत्रों (वरिष्ठ मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं एवं निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मियों, यथा मतदान पार्टी, सुरक्षा कर्मियों एवं ड्राईवर–क्लीनर, कंडक्टर आदि सहित) की छपाई हेतु स्थानीय स्तर पर विगत निर्वाचनों की भाँति प्रिन्टिग प्रेस का चयन करना एवं कागज (गुलाबी रंग का कागज) की व्यवस्था करवाना। (आयोग का पत्र संख्या– 52/2023/SDR/Vol. IV दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 एवं रिटर्निगं ऑफिसर हस्तपुस्तिका अध्याय–11 पृष्ठ–96 से 127)	DEO/RO	**21.06.2024**
3.26–	Braille Dummy Ballot Sheet की प्रिन्टिंग हेतु किसी वरिष्ठ भिज्ञ अनुभवी अधिकारी को नामित/नियुक्त करना।	DEORO	**21.06.2024 तक**
4.4–	मतदान कार्मिकों (Mocro Observer सहित) की **First Training** (पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी प्रथम) छोटे–छोटे बैच में, मास्टर ट्रेनरों द्वारा EVM की Hands on Training तथा डाक मतपत्र की सुविधा हेतु पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म–12 प्राप्त करना (प्रथम रेण्डामाइजेशन के अनुसार विभाग/कार्यालय के समस्त कार्मिकों के)	DEO	**21.06.2024 एवं 22.06.2024**
4.11–	गर्मी/वर्षात के मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण केन्द्रों/सुविधा केन्द्रों, Dispersal and Collection Centre पर शुद्ध शीतल पेयजल, छाया, कूलर, पंखा, एम्बुलेंस–आवश्यक औषधि सहित चिकित्सा दल एवं अन्य कल्याणकारी आकस्मिक व्यवस्थाएं जैसे स्वच्छ ताजा चाय–नाश्ता–भोजन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	DEO/RO	**21.06.2024 से 11.07.2024 तक**
6.14–	मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए नियमानुसार केवल T&A मशीनों का ही प्रयोग किया जाएगा। मशीनों को प्रशिक्षण स्थल तक ले जाने एवं लाने के लिए	DEO/RO	**21.06.2024 एवं 22.06.2024 तथा 27.06.2024 से**

	जीपीएस युक्त वाहन के प्रयोग के साथ ही पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी तथा अयोग के तद् विषयक प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना।		**29.06.2024 और अन्य जो भी प्रशिक्षण तिथियां हों**
7.2–	होम वोटिंग हेतु मतदान पार्टियों के संचलन के लिए रूट चार्ट एवं कार्यक्रम का निर्धारण	RO/ARO	**21.06.2024 तक**
8.3–	अधिकृत वेण्डर द्वारा साफ एवं स्वच्छ लेजर प्रिन्टग करना :– 1–VIS (वोटर इन्फॉरमेशन स्लिप) एवं वितरण रजिस्टर की 01 प्रति लेजर प्रिन्ट, 2–निर्वाचक नामावली की कुल–12 प्रति लेजर प्रिन्ट एवं 3–Alphabetical Roll की एक प्रति लेजर प्रिन्ट संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करान।	Vendor	**21.06.2024 अपरान्ह 07:00 बजे तक**
10.1–	आयोग के पत्र संख्या–464/Counting Arrangements/ 2023-EPS दिनांक 18 जुलाई, 2023 एवं रिटर्निगं ऑफिसर हस्तपुस्तिका के अध्याय–15 के अनुसार मतगणना केन्द्र, भवन/हॉल एवं स्ट्राँग रूम आदि का चयन करना एवं जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक द्वारा चयनित भवन/केन्द्र/हॉल एवं स्ट्राँग रूम का सुरक्षा आदि की दृष्टि से संयुक्त निरीक्षण करना।	DEO/SSP/SP/RO	**21.06.2024 तक**
10.3–	मतगणना भवन/केन्द्र के प्रस्ताव में निम्नलिखित बिन्दुओं को अनिवार्य रूप से समाविष्ट करना :– 1–मतगणना हॉल का साईज तथा उसमें प्रस्तावित कुल मेजों की संख्या (न्यूनत्तम–7 एवं अधिकत्तम–14 गणना मेज) 2–प्रवेश एवं निकास के लिए अलग–अलग दरवाजे, 3–स्ट्राँग रूम से मतगणना हॉल तक मशीनों को लाने के लिए Criss Cross की स्थिति, 4– मतगणना के लिए प्रस्तावित मेजों में से किसी भी एक मेज को VCB के लिए भी चिन्हित करना।	DEO/RO	**21.06.2024 तक**

	5–Category A & B की मशीनों के लिए स्ट्राँग रूम चिन्हित करना। 6– डाक मतपत्रों की गणना हेतु अलग हॉल/कक्ष चिन्हित करना। 7–ईटीपीबी से प्राप्त डाक मतपत्रों की प्रि–काउंटिंग हेतु स्केनिंग के लिए अलग कक्ष/हॉल चिन्हित करना। 8–मीडिया सेन्टर के लिए कक्ष/हॉल चिन्हित करना। 9–प्रेक्षक/डीईओ के लिए अलग कक्ष चिन्हित करना। 10–मतगणना केन्द्र/स्ट्राँग रूमों की सुरक्षा में तैनात CAPF तथा अन्य सुरक्षा कर्मियों के लिए उसी केन्द्र/भवन आदि में आवश्यक संख्या में कक्ष/हॉल (जहां भोजन आदि बनाने के लिए भी पर्याप्त सुरक्षित स्थान हो तथा स्वच्छ पेयजल सहित पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो) चिन्हित करना। 11–कंट्रोल रूम के लिए कक्ष का चयन। 12–डाक मतपत्रों की गणना हेतु प्रति मेज अधिकत्तम 500 डाक मतपत्रों हेतु मतगणना मेजों का निर्धारण करना। 13–ईटीपीबी के माध्यम से प्राप्त डाक मतपत्रों की प्रि–काउंटिंग हेतु प्रति मेज अधिकत्तम 250–300 लिफाफों की स्केनिंग हेतु मेजों का निर्धारण करना। 14–मतगणना केन्द्र/परिसर में 24X7 सीसीटीवी एवं निर्वाध रूप से विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना।		
11.1–	भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–464/INST/ EPS/2023 (CAPFs) दिनांक 14 जून, 2023 में जारी निर्देशों (प्रस्तर–G से I) के अनुसार CAPF के लिए परिवहन, आवास एवं अन्य कल्याणकारी उपाय/प्रबंध–प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना।	DEO/SSP/SP	**21.06.2024 तक**
12.1–	Manual on Force deployment in Election-2023 के अध्याय–7 एवं 9 तथा Handbook for Police Officers-2023 तथा आयोग द्वारा तद् विषय समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन में मानक के अनुसार सुरक्षा बलों की तैनाती हेतु जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी	DEO/SSP/SP	**21.06.2024 तक**

	तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से सम्यक् विचारोपरान्त विस्तृत कार्ययोजना तैयार करना। मानक विवरण हेतु Manual on Force deployment in Election-2023 का Annexure-XI & Annexure-XII देखें।		
12.3–	Non CAPF Mesure (Force Multipliers And Civil Measures) सम्बन्धी आयोग के दिशा–निर्देशों को भी Force Deployment Plan में सम्मिलित करना।	DEO/SSP/SP	**21.06.2024 से 05.07.2024**
14.3–	मतदान पार्टियों के आवागमन सहित निर्वाचन के लिए प्रयुक्त होने वाले हल्के/भारी वाहनों का आंकलन करना (सुरक्षा कर्मियों/CAPF सहित)	DEO/SSP/SP/RO	**21.06.2024 तक**
5.5–	सेक्टर मजिस्ट्रेटों द्वारा RO को VM-2 & VM-3 पर प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर **RO के द्वारा VM-4** पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार संकलित रिपोर्ट तैयार कर DEO को प्रस्तुत करना।	RO	**22.06.2024 तक**
6.4–	FLC OK मशीनों का First Randomization करना एवं संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निगं आफिसर को सुरक्षित अभिरक्षा में सौंपना। लेना। (ईवीएम मैनुअल अध्याय–3 एवं 6)	DEO/Dy.DEO/RO	**22.06.2024 तक**
6.5–	RO के द्वारा उक्तानुसार First Randomized मशीनों को प्राप्त करना एवं EMS Mobile App से स्केन कर EMS में भी अपडेट करना।	RO/ARO	**22.06.2024 तक**
7.3–	रूट चार्ट एवं कार्ययोजना मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ साझा करना एवं सभी आवश्यक माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार करना	RO/ARO	**22.06.2024 तक**
7.4–	दिनांक 19 जून, 2024 तक **प्रारूप–12डी** में प्राप्त आवेदनों के आधार पर **ANNEXURE-9** पर अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं की सूची तैयार करना।	RO/ARO	**22.06.2024 तक**
7.6–	अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं द्वारा मतदान के लिए मतदान दल का गठन एवं उनका प्रशिक्षण (माईक्रो ऑब्जरबर, वीडियोग्रॉफर, सुरक्षा कर्मी, तथा बीएलओ एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट आदि सहित)	DEO/RO	**22.06.2024 से 24.06.2024**

8.10–	VIS (वोटर इन्फॉरमेशन स्लिप) एवं वितरण रजिस्टर, तथा Voter Guide Books मतदाताओं को वितरण के लिए प्रत्येक BLO को उपलब्ध करना।	DEO/RO	**22.06.2024 तक**
8.11–	BLO के माध्यम से शत प्रतिशत निर्वाचकों को VIS (वोटर इन्फॉरमेशन स्लिप) के साथ प्रति परिवार (House Hold) को Voter Guide Books का वितरण करते हुए निर्धारित रजिस्टर पर प्राप्ति लेना। आयोग का पत्र संख्या–464/INST/VIS/2023/EPS दिनांक 08.06.2024	BLO/RO	**22.06.2024 से 05.07.2024 तक**
8.12–	BLO के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ASD List तैयार करना।	BLO/RO	**22.06.2024 से 05.07.2024 तक**
2.10–	नामनिर्देशन–पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा संविधान के अनुच्छेद–173 (क) के अनुसार विहित शपथ न लेना।	RO/ARO संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया जाएगा।	**23.06.2024 मध्य रात्रि 11:59:59 तक संवीक्षा के लिए नियत तिथि से पूर्व निर्धारित शपथ ली जानी चाहिए। रिटर्निगं आफिसर हस्तपुस्तिका का पैरा–5.17 से पैरा–5.18 देखें।**
2.4–	नामनिर्देशन–पत्रों की संवीक्षा (Scrutiny) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में। रिटर्निगं ऑफिसर हस्तपुस्तिका–2023 के अध्याय–6 के प्रस्तर–6.3.1 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा–36 में निहित प्राविधनों के अनुसार नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा के समय नामनिर्देशित अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता, प्रत्येक अभ्यर्थी का कोई एक प्रस्थापक एवं एक अन्य कोई अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है।	RO	**24.06.2024 पूर्वान्ह 11:00 बजे से**
2.5–	नामनिर्देशन–पत्रों की संवीक्षा के उपरान्त निर्वाचनों का संचालन नियम–1961 के नियम–8 के अनुसरण में रिटर्निगं ऑफिसर हस्तपुस्तिका के अध्याय–6 के प्रस्तर–6.12 के अनुपालन में प्रारूप–4 पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में विधिमान्यतः नामनिर्देशित	RO/ARO	**24.06.2024**

	अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं उसका प्रेषण। (सूची अभ्यर्थियों के नाम के हिन्दी वर्णानुक्रम में तथा राजनैतिक दलों की श्रेणी के तीन वर्गों में तैयार करना)		
2.9–	यदि नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत **प्रारूप–26 शपथ पत्र** में कोई कॉलम खाली छोड़ा गया है, या उसमें डैस (–) किया गया है अथवा प्रारूप–26 के शपथ–पत्र की विषय वस्तु आयोग द्वारा निर्धारित विषय वस्तु/विवरण से भिन्न है या कोई सामग्री छोड़ दी गयी है आदि...	RO/ARO नामनिर्देशन–पत्र प्राप्त करते समय नामनिर्देशन पत्र/पत्रों की सामान्य जांच के पश्चात संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया जाएगा।	**24.06.2024** **पूर्वान्ह 11:00 बजे तक पुनः संशोधित नया शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।**
2.11–	यदि नामनिर्देशित अभ्यर्थी किसी भिन्न निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है और उसके द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है।	RO/ARO संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया जाएगा।	**24.06.2024** **निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रति नामनिर्देशन–पत्रों की संवीक्षा के समय तक प्रस्तुत की जानी चाहिए।**
2.12–	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नामनिर्देशित अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना।	RO/ARO संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया जाएगा।	**24.06.2024** **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति नामनिर्देशन–पत्रों की संवीक्षा के समय तक प्रस्तुत की जानी चाहिए।**
3.3–	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण द्वारा On line Service Voter Portal (https://svp.eci.gov.in) में सर्विस इलेक्टर को फाइनलाईज करना। (फाइनलाइज बटन को क्लिक कर फाइनल करना है)	ERO	**24.06.2024** **को**
3.11–	स्थानीय पूर्व चयनित प्रिन्टिग प्रेस में डाक मतपत्रों की छपाई हेतु गुलाबी रंग के कागज की उपलब्धता की पुष्टि करना, सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती के साथ–साथ प्रिन्टिंग कार्य की Close Monitoring हेतु किसी सहायक रिटर्निगं ऑफिसर प्रिन्टिंग की तैनाती करना।	DEO/RO	**24.06.2024** **तक**
5.6–	**RO के द्वारा VM-4** पर DEO को प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर DEO द्वारा **VM-5** पर संकलित रिपोर्ट तैयार कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करना।	DEO	**24.06.2024** **तक**

10.2–	आयो के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 18 जुलाई, 2024 के साथ संलग्न ANNEXURE-E अथवा रिटर्निगं ऑफिसर हस्तपुस्तिका के अध्याय–15 के प्रस्तर–15.3 Information Sheet पर मतगणना भवन, केन्द्र / हॉल / स्ट्राँग रूम का प्रस्ताव (विस्तृत Layout / मानचित्र सहित) जि0नि0अ0 एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से आयोग के अनुमोदन हेतु मु0नि0अ0 कार्यालय को प्रेषित करना।	DEO/SSP/SP/RO	**24.06.2024 तक**
4.13–	सहायक व्यय लेखा प्रेक्षक एवं व्यय लेखा टीम को निर्वाचन व्यय लेखों की निगरानी आदि के सम्बन्ध में आयोग द्वारा नियुक्त व्यय लेखा प्रेक्षक द्वारा द्वित्तीय प्रशिक्षण प्रदान करना।	DEO/RO/OBS.	**25.06.2024 तक या (प्रेक्षक की सुविधा के अनुसार)**
5.7–	DEO द्वारा VM-5 पर प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर **VM-6** पर CEO द्वारा आयोग को रिपोर्ट प्रेषित करना।	CEO	**25.06.2024**
9.1–	निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मियों के लिए सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) पर डाक मतपत्र की सुविधान प्रदान करने हेतु नोडल ऑफिसरों की नियुक्ति करना :– 1. मतदान कार्मिकों के लिए नोडल ऑफिसर 2. सुरक्षा कर्मियों (होमगार्ड–पीआरडी सहित) के लिए पुलिस नोडल ऑफिसर। ड्राइवर–कंडक्टर, क्लीनर के लिए नोडल ऑफिसर।	DEO/RO/ SSP/SP / Nodal Transport	**25.06.2024**
1.9–	भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों एवं मा. उच्च न्यायालय के तद्विषयक जारी आदेश (यदि कोई हो) के अनुपालन में आग्नेयास्त्र ले जाने पर प्रतिबंध लगाना और लाइसेंसी हथियार जमा करने की कार्यवाही करना / विशेष मामलों में, जहाँ आवश्यक हो लाइसेंसी हथियार की अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करना।	DM/SSP/SP	**26.06.2024**
2.6–	निर्वाचनों का संचालन नियम–1961 के नियम–9 (1) के अनुसार प्रारूप–5 पर अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना (यदि कोई हो) प्राप्त करना तथा नियम–9 (2) के अनुसार प्रारूप–6 पर अभ्यर्थिता वापस लिए जाने की सूचना (यदि कोई हो) प्रकाशित	RO/ARO	**26.06.2024 अपरान्ह 03:00 बजे तक**

	करना। ऐसे आवेदन/सूची विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित किए जाने के उपरान्त ही प्राप्त/तैयार की जाएगी।		
2.7–	विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना एवं निर्वाचनों का संचालन नियम–1961 के नियम–10(1) के अनुसरण में प्रारूप–7क पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना तथा उसका प्रेषण। (सूची अभ्यर्थियों के नाम के हिन्दी वर्णानुक्रम में तथा राजनैतिक दलों की श्रेणी के तीन वर्गों में तैयार करना)	RO/ARO	**26.06.2024 अपरान्ह 03:00 बजे से**
2.17–	Format-CA पर आपराधिक पूर्ववृत (Criminal Antecedent) से संबंधित स्पष्ट विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना। (यदि सूचना शून्य हो तो ऐसी स्थिति में शून्य सूचना ही नियत प्रारूप पर अनिवार्य रूप से प्रेषित करना)	RO	**26.06.2024**
2.19–	प्रारूप–7क के अनुसार ENCORE Application में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम, पिता/पति का नाम, पता एव दल सहबद्धता आदि विवरण हिन्दी एवं अंग्रेजी में अपलोड/अपडेट करने के साथ–साथ अभ्यर्थी का फोटो एवं चुनाव चिन्ह अपलोड/अपडेट करना।	RO/ARO	**26.06.2024 अपरान्ह 03:00 बजे के पश्चात प्रारूप–7क तैयार होने के फलस्वरूप**
2.30–	निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदेय स्थलों की सूची उपलब्ध कराना।	RO/ARO	**26.06.2024**
2.31–	मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की एक हार्ड कॉपी एवं एक सॉफ्ट कॉपी (सॉफ्ट कॉपी बिना फोटो के) उपलब्ध कराना।	RO/ARO	**26.06.2024**
2.32–	निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को मतदान अभिकर्ताओं (Polling Agents) की नियुक्ति हेतु आवश्यक संख्या में प्रारूप–10 उपलब्ध कराना। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के प्रतिसंहरण (Revocation) हेतु आवश्यक संख्या में प्रारूप–11 भी उपलब्ध कराना।	RO/ARO	**26.06.2024**

2.33—	निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को EVM & VVPAT की First & Second Randomization की लिस्ट उपलब्ध कराना। (मैनुअल ऑन ईवीएम अगस्त—2023 अध्याय—7 पृष्ठ—36)	RO/ARO	**26.06.2024**
2.34—	निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्लास्टिक / पॉलीथीन से निर्मित प्रचार—प्रसार सामग्री का उपयोग न करने के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या—3/ER/2023/SDR/Vol.II दिनांक 18 अगस्त, 2023 में अपील की प्रति उपलब्ध कराना।	RO/ARO	**26.06.2024**
2.35—	निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी तथा उनके निर्वाचन अभिकर्ता को निर्धारित प्रारूप फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करना। (रिटर्निगं ऑफिसर हस्तपुस्तिका अध्याय—7 पैरा—7.8)	RO	**26.06.2024**
3.2—	प्रारूप—7क पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची अंतिम रूप से तैयार करने के उपरान्त निम्न मतपत्र तैयार करना :— **1**—ईवीएम / टेण्डर वोट हेतु मतपत्र (गुलाबी रंग का कागज) **2**—डाक मतपत्र (गुलाबी रंग का कागज) (अनुपस्थित श्रेणी के वरिष्ठ मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं, आवश्यक सेवा के मतदाताओं एवं निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों एवं ड्राईवर—क्लीनर, कंडक्टर आदि सहित) **3**—सर्विस मतदाताओं के लिए ईटीपीबी हेतु etpbms.eci.gov.in के माध्यम से Generate करना, सामान्य A4 साईज फोटो स्टेट पेपर पर (आयोग का पत्र संख्या—52/2023/SDR/Vol. IV दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 एवं रिटर्निगं ऑफिसर हस्तपुस्तिका अध्याय—11 पृष्ठ—96 से 127)	DEO/RO/ ARO	**26.06.2024 को अपरान्ह 03:00 बजे के पश्चात**
3.4—	सर्विस मतदाताओं के लिए etpbms.eci.gov.in से ऑफ लाईन टूल डाउनलोड करके फिर उस टूल से बैलेट पेपर Generate करना तथा इसका प्रिन्ट करना एवं जांचोपरान्त RO एवं DEO द्वारा अपने संयुक्त हस्ताक्षर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के अनुमोदन हेतु भेजना।	DEO/RO	**26.06.2024 विलम्बत्तम अपरान्ह 05:00 बजे तक**

3.5–	सर्विस मतदाताओं के लिए उक्तानुसार ईटीपीबी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदन के उपरान्त DEO/RO को प्रेषित करना।	CEO	**26.06.2024 अपरान्ह 06:00 बजे तक**
3.6–	etpbms.eci.gov.in में RO द्वारा, सर्विस मतदाताओं से डाक मतपत्रों की वापसी का सुस्पष्ट पता अंकित करना। ध्यान रहे पता पूर्ण एवं स्पष्ट होना चाहिए जिस पर डाक द्वारा ईटीपीबी डाक मतपत्रों के लिफाफे वापस प्राप्त होंगें।	RO	**26.06.2024 अपरान्ह 05:30 बजे तक**
3.7–	मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के अनुमोदन के पश्चात हस्ताक्षरयुक्त ईटीपीबी को पत्रावली में सुरक्षित रखें तथा जो ऑफ लाईन टूल से बैलेट पेपर जनरेट किया गया और अनुमोदन के लिए भेजा था इस बैलेट पेपर को बिना हस्ताक्षर के etpbms.eci.gov.in में अपलोड करना एवं पिन जनरेट करना।	RO	**26.06.2024 अपरान्ह 07:00 बजे**
3.8–	यह सुनिश्चित करना कि etpbms.eci.gov.in में उस विधान सभा के सभी सर्विस निर्वाचकों के शत–प्रतिशत पिन जनरेट हो गए हैं।	RO	**26.06.2024 अपरान्ह 07:00 बजे**
3.9–	ईटीपीबी की चरणबद्ध रूप से उक्त कार्यवाही सम्पन्न करने के पश्चात RO द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट तैयार करना एवं हस्ताक्षर कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना। **(RETURNING OFFICER CHECKLIST FOR ETPBMS)**	RO	**26.06.2024 अपरान्ह 07:30 बजे तक**
3.10–	**नोट :–** ईटीपीबी के प्रत्येक चरण की प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक एवं ध्यानपूर्वक संचालित एवं सम्पादित करें, क्योंकि कोई भी स्टेप वापस नहीं लिया जा सकता है। इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। संलग्न एसओपी का अक्षरशः अनुपालन करें। किसी भी संदेह के मामले में तुरन्त मु0नि0अ0 कार्यालय से सम्पर्क करना।	DEO/ERO/RO	**26.06.2024**
3.12–	अनुपस्थित श्रेणी के वरिष्ठ मतदाताओं (85^{+}), दिव्यांग मतदाताओं, आवश्यक सेवा के अन्तर्गत अधिसूचित मतदाताओं तथा निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कार्मिकों, सुरक्षा कर्मियों, ड्राईवर, क्लीनर, कंडक्टर आदि के लिए डाक मतपत्र का नमूना तैयार करना। (आयोग का पत्र संख्या–52/2023/SDR/Vol. IV दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 एवं रिटर्निंग ऑफिसर हस्तपुस्तिका अध्याय–11 पृष्ठ–96 से 127)	RO	**26.06.2024 अपरान्ह 05:00 बजे तक**

3.13—	तैयार किए गए डाक मतपत्र का नमूना जांच एवं परीक्षण हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना।	DEO/RO	**26.06.2024 अपरान्ह 05:30 बजे तक**
3.20—	EVM (BU) पर लगाने तथा टेण्डर वोट के लिए सामान्य मतपत्र का नमूना तैयार करना, (आयोग का पत्र संख्या– 52/2023/SDR/Vol. IV दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 एवं रिटर्निंग ऑफिसर हस्तपुस्तिका अध्याय–11 पृष्ठ–96 से 127)	RO	**26.06.2024 अपरान्ह 05:00 बजे तक**
3.21—	तैयार किए गए सामान्य मतपत्र का नमूना जांच एवं परीक्षण हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना।	DEO/RO	**26.06.2024 अपरान्ह 05:30 बजे तक**
13.1—	मतदेय स्थलवार विस्तृत Communication Plan तैयार करना एवं Communication shadow Polling Stations आदि के लिए संचार की वैकल्पिक व्यवस्था करना।	DEO/SSP/SP/RO	**26.06.2024 तक**
14.1—	वितरण केन्द्र (Dispersal Centre) से मतदेय स्थल तक आवागमन हेतु विस्तृत Route Plan तैयार करना, जिसमें निम्न बिन्दु अनिवार्य रूप से सम्मिलित हों :— 1— वितरण केन्द्र (Start Point) **2—** वितरण केन्द्र से अंतिम मोटर शीर्ष तक पड़ने वाले पूर्व निर्धारित मार्ग (Predefined route) **3—** अंतिम मोटर शीर्ष का नाम एवं उसकी वितरण केन्द्र से सड़क मार्ग की दूरी किमी. में (जहां पर वाहन अंतिम मतदान पार्टी को Drop कर खड़ा रहेगा)। **4—** दूरी के आधार पर वाहन को वितरण केन्द्र से अंतिम मोटर शीर्ष तक पहुंचने में लगने वाला अनुमानित समय, **5—** अंतिम मोटर शीर्ष से मतदेय स्थल तक की पैदल दूरी किमी. तथा पेदल चलने में मतदेय स्थल तक पहुंचने में लगने वाला अनुमानित समय। **6—** निर्धारित वाहन में कुल कितनी मतदान पार्टियों (सुरक्षा कर्मियों सहित) को रवाना किया जा रहा है। **7—** जोनल एवं सेक्टर का नाम **8—** संग्रह केन्द्र का नाम जहां पर मतदान की समाप्ति के पश्चात मतदान पार्टी द्वारा सामग्री जमा की जाएगी। **9—** अंतिम मतदान पार्टी के पीठासीन अधिकारी का नाम जो वाहन का प्रभारी होगा। 10— वाहन का पूरा नम्बर एवं प्रकार जिसके द्वारा मतदान पार्टी का आवागमन होना है।	DEO/RO	**26.06.2024 तक**

15.1–	Vulnerable & Critical मतदेय स्थलों को सम्मिलित करते हुए विधान सभा क्षेत्र के कम से कम 50% मतदेय स्थलों को Webcasting के लिए चिन्हित करना।	DEO/SSP/SP/RO	**26.06.2024 तक**
3.14–	डाक मतपत्र के नमूने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मौखिक रूप से सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त करने के पश्चात प्रिन्टिग प्रेस में डाक मतपत्रों की छपाई हेतु सहायक रिटर्निगं ऑफिसर प्रिन्टिग द्वारा मास्टर प्लेट तैयार करवाना एवं उसकी प्रूफ रीडिंग करना।	RO/ARO	**27.06.2024 पूर्वान्ह 09:00 बजे तक**
3.15–	सहायक रिटर्निगं ऑफिसर (प्रिन्टिग) द्वारा प्रिन्टिंग प्रेस में डाक मतपत्र के मास्टर की प्रूफ रीडिंग के पश्चात पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त ही निर्धारित संख्या में डाक मतपत्रों की छपाई हेतु अंतिम आदेश देना एवं पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ छपाई कार्य प्रारम्भ करवाना तथा प्रत्येक डाक मतपत्र पर आयोग के पत्र संख्या–52/2023/SDR/Vol.IV दिनांक 14.03.2024 के प्रस्तर–1.9 में विहित प्रक्रिया के अनुसार डाक मतपत्रों पर मशीन से ही नम्बरिंग करवाना।	RO/ARO	**27.06.2024 पूर्वान्ह 10:00 बजे से प्रिन्टिग कार्य की समाप्ति तक**
3.16–	प्रिन्टिग प्रेस में डाक मतपत्रों की छपाई का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 50–50 मतपत्रों की क्रमवद्ध रूप से पैकेटिंग / बण्डलिंग हेतु स्टिचिंग / स्टेपलिंग आदि का कार्य करवाना।	RO/ARO	**27.06.2024 अपरान्ह 02:00 बजे से**
3.17–	प्रिन्टिंग प्रेस में डाक मतपत्रों की छपाई का कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण होने के पश्चात, प्रिन्टिंग प्रेस में अतिरिक्त एवं बेकार मतपत्रों को टुकड़ों में काटकर (Shredded) सहायक रिटर्निगं ऑफिसर प्रिन्टिग एवं प्रबंधक प्रिन्टिंग प्रेस की उपस्थिति में लुगदी बनाना एवं दोनो अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करना एवं रजिस्टर में बर्बाद हुए कागज की प्रत्येक शीट का लेखा–जोखा रखना एवं रिपोर्ट डीईओ सौंपना, एवं प्रिटिंग प्रेस के कम्प्यूटर से मतपत्रों से संबंधित साफ्ट फाईल को भी उचित एवं स्थाई रूप से Delete करना।	RO/ARO	**27.06.2024 अपरान्ह 02:00 बजे से**
3.18–	सहायक रिटर्निगं ऑफिसर प्रिन्टिंग द्वारा प्रिन्टिंग प्रेस से छापे हुए समस्त डाक मतपत्रों प्राप्त करना एवं प्रत्येक बण्डल / पैकेट की भलीभाँति जांच कर उन्हें स्टील ट्रंक के अन्दर रखना तथा स्टील ट्रंक	RO/ARO	**27.06.2024 अपरान्ह 04:00 बजे तक**

	को डबल लॉक से बंद कर सशस्त्र पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतपत्र युक्त स्टील ट्रंक/ट्रंकों को कोषागार के डबल लॉक में सुरक्षित रखना। स्टील ट्रंक/ट्रंकों की एक चाबी RO के पास तथा दूसरी चाबी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर प्रिन्टिंग के पास रहेगी, इस उद्देश्य के लिए बनाए गए रजिस्टर में समुचित प्रविष्टि करना।		
3.22—	सामान्य मतपत्र के नमूने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मौखिक रूप से सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त करने के पश्चात मतपत्रों की छपाई हेतु सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/किसी वरिष्ठ अनुभवी भिज्ञ अधिकारी को मतपत्र का नमूना, प्रारूप—7क हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति तथा अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ सहित टीम एवं सुरक्षा व्यवस्था के साथ रूड़की पहुंचना।	RO/ARO	**27.06.2024 पूर्वान्ह 09:00 बजे तक**
3.23—	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/अधिकृत अधिकारी द्वारा राजकीय प्रेस रूड़की में मतपत्र के मास्टर की प्रूफ रीडिंग के पश्चात पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त ही केवल गुलाबी रंग के कागज पर निर्धारित संख्या में मतपत्रों की छपाई हेतु अंतिम आदेश देना एवं पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ छपाई कार्य प्रारम्भ करवाना। (रिटर्निंग ऑफिसर हस्तपुस्तिका—2023 अध्याय—11 पैरा—11.25 से 11.31)	RO/ARO	**27.06.2024 पूर्वान्ह 10:00 बजे से प्रिन्टिग कार्य की समाप्ति तक**
3.24—	राजकीय प्रेस रूड़की में मतपत्रों की छपाई का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उचित रूप से मतपत्रों की क्रमवद्ध रूप से पैकेटिंग/बण्डलिंग स्टिचिंग/ स्टेपलिंग आदि का कार्य करवाना।	RO/ARO	**27.06.2024 अपरान्ह 04:00 बजे से**
3.25—	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/अधिकृत अधिकारी द्वारा राजकीय प्रेस रूड़की से छापे हुए समस्त मतपत्र प्राप्त करना एवं प्रत्येक बण्डल/पैकेट की भलीभाँति जांच कर उन्हें स्टील ट्रंक के अन्दर रखना तथा स्टील ट्रंक को डबल लॉक से बंद कर सशस्त्र पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतपत्र युक्त स्टील ट्रंक/ट्रंकों को अधिकृत वाहन के माध्यम से संबंधित जिला मुख्यालय में पहुँचाना एवं कोषागार के डबल लॉक में सुरक्षित रखना।	RO/ARO	**27.06.2024 अथवा 28.06.2024 जैसी भी स्थिति हो**
3.26—	Braille Dummy Ballot Sheet की प्रिन्टिंग हेतु किसी वरिष्ठ भिज्ञ अनुभवी अधिकारी को नामित/नियुक्त करना।	DEORO	**21.06.2024 तक**

3.27–	Braille Dummy Ballot Sheet की प्रिन्टिंग हेतु अधिकृत अधिकारी का प्रारूप–7क निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की हिन्दी तथा अंग्रेजी की साफ एवं स्वच्छ पठनीय प्रति तथा रिटर्निगं ऑफिसर की अंग्रेजी की रबर की मुहर, सहित NIVH देहरादून पहुंचना।	DEO/RO	**27.06.2024 पूर्वान्ह 09:00 बजे तक**
3.28–	NIVH देहरादून पहुंचकर अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रारूप–7क के अनुसार Braille Dummy Ballot Sheet का आलेख तैयार करवाना एवं ब्रेल की जानकारी रखने वाले अधिकृत कार्मिक/व्यक्ति से प्रूफ रीडिंग करवाना।	RO/ARO	**27.06.2024 पूर्वान्ह 11:00 बजे तक**
3.29–	Braille Dummy Ballot Sheet के आलेख की प्रूफ रीडिंग के पश्चात पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त अंतिम रूप से निर्धारित संख्या में Braille Dummy Ballot Sheet की प्रिन्टिंग का अंतिम आदेश देना एवं प्रिन्टिंग करवाना।	RO/ARO	**27.06.2024 पूर्वान्ह 11:00 बजे से**
3.30–	अंतिम रूप से प्रिन्ट प्रत्येक Braille Dummy Ballot Sheet पर यथा स्थान रिटर्निगं ऑफिसर की रबर की मुहर लगाना जिस पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम भी अंकित हो।	RO/ARO	**27.06.2024 अपरान्ह 02:00 बजे**
3.31–	प्रिन्ट Braille Dummy Ballot Sheet की चार–चार प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना एवं शेष Braille Dummy Ballot Sheet संबंधित रिटर्निगं आफिसर को उपलब्ध कराना।	RO/ARO	**27.06.2024 या 28.06.2024 जैसी भी स्थिति हो।**
4.6–	मतदान कार्मिकों का **Second Randomization** मतदान पार्टियों का गठन करना, Order Generate करना एवं उनकी तामीली सुनिश्चित करना।	DEO/RO	**27.06.2024 से 29.06.2024 तक**
7.5–	डाक मतपत्र जारी करने के लिए समय पर विधिवत प्राप्त फार्म–12डी की **ANNEXURE-12** पर अंतिम रूप से तैयार की गयी अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं की सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों/निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ साझा करना।	RO/ARO	**27.06.2024 तक**
8.4–	मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचक नामावली की एक–एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि।	DEO/RO	**27.06.2024**

8.5–	अनुपस्थित एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए Home Voting हेतु संबंधित मतदान दल को निर्वाचक नामावली की एक प्रति उपलब्ध कराना।	DEO/ARO	**27.06.2024 तक**
8.6–	निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कार्मिकों के लिए वोटर फैसिलीटेशन सेन्टर के लिए नामावली की एक–एक प्रति उपलब्ध कराना।	DEO/ARO	**27.06.2024 तक**
12.2–	उपरोक्तानुसार निर्धारित मानक के अनुसार निर्वाचन हेतु मतदेय स्थलवार आदि Force Deployment Plan तैयार करने के पश्चात Force Deployment Plan की प्रति निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से च्फ तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना।	DEO/SSP/SP	**27.06.2024 तक**
13.2–	Communication Shadow Polling Stations चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करना एवं मु0नि0अ0 कार्यालय को साझा करना।	DEO/RO	**27.06.2024 तक**
17.2–	डाक मतपत्रों की गणना मेजों के अनुसार प्रत्येक मेज के लिए अतिरिक्त **ARO चिन्हित करना एवं उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव आयोग के अनुमोदन हेतु मु.नि.अ. कार्यालय को प्रेषित करना।**	DEO/RO	**27.06.2024 तक**
6.6–	RO के द्वारा Second Randomization करना। Second Randomization प्रक्रिया में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भी ससमय लिखित में आमंत्रित करना (कम से कम 24 घण्टे पूर्व सूचना देना एवं प्राप्ति लेना) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम तथा द्वित्तीय रेण्डामाईजेशन की मशीनों की सूची उपलब्ध करना एवं प्राप्ति लेना। (ईवीएम मैनुअल अध्याय–7)	RO/ARO	**28.06.2024 तक**
9.2–	1. प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल / सुविधा केन्द्र पर हेल्प डेस्क की स्थापना करना। 2. मतदान के संचालन के लिए श्रेणी–ख या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को सुविधा केन्द्र के प्रभारी के रूप में नियुक्त करना। 3. सुविधा केन्द्र पर तीन अधिकारियों को मतदान दल के रूप में तैनाती करना। (प्रति बूथ)	DEO/RO/ARO	**28.06.2024 तक**

2.16–	लम्बित / दोषसिद्ध आपराधिक पूर्ववृत (Criminal Antecedent) के संबंध में मा. उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के अनुपालन में आयोग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के आलोक में ऐसी सूचनाओं को संबंधित अभ्यर्थी / राजनैतिक दल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक / प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित किए जाने की समय सारिणी। A- सी–1 पर अभ्यर्थी द्वारा अपना आपराधिक पूर्ववृत (यदि कोई हो) समाचार पत्र एवं टीवी पर प्रकाशित किया जाएगा। B- सी–2 पर राजनैतिक दल द्वारा वेबसाईट, समाचार पत्र एवं टीवी पर उनके द्वारा घोषित अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत (यदि कोई हो) की घोषणा प्रकाशित की जाएगी। C- सी–4 पर अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखा के साथ आपराधिक पूर्ववृत (यदि कोई हो) के प्रकाशन का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। D- सी–5 पर वांछित विवरण राजनैतिक दल द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन के अन्दर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को समाचार पत्र की प्रति सहित प्रस्तुत की जाएगी। E- सी–6 पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सी–5 में प्राप्त सूचना / विवरण के आधार पर संकलित विवरण तैयार कर आयोग को प्रेषित किया जाएगा। F- सी–7 पर राजनैतिक दल द्वारा अभ्यर्थीवार आपराधिक पूर्ववृत (यदि कोई हो) का विस्तृत विवरण समाचार पत्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा पार्टी की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा। (राजनैतिक दल द्वारा अभ्यर्थी घोषित किए जाने के 48 घण्टे के अन्दर या नामांकन प्रस्तुत करने की पहली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो प्रकाशित किया जाएगा) G- सी–8 पर राजनैतिक दल द्वारा पार्टी के सोशल मीडिया खातों का विवरण नामांकन दाखिल करने की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले, या अभ्यर्थी के चयन के 72 घण्टे के अन्दर, जो भी पहले हो प्रस्तुत करनी होगी।	Political Parties/ Candidates	**(1) 30.06.2024 (अभ्यर्थिता वापस लेने के पहले चार दिनों के भीतर) (2) 01.07.2024 से 04.07.2024 (अभ्यर्थिता वापस लेने के अगले पाँचवें से आठवें दिन के भीतर) (3) 05.07.2024 से 08.07.2024 (अभ्यर्थिता वापस लेने के अगले नौवें दिन से निर्वाचन प्रचार के अंतिम दिन तक)**
4.5–	फार्म–12 के अनुसार मतदान कार्मिकों को नियमानुसार डाकमत की सुविधा प्रदान किए जाने हेतु डाटाबेस तैयार करना तथा द्वित्तीय प्रशिक्षण के दौरान डाकमत से मतदान की सुविधा हेतु प्रशिक्षण स्थल पर सुविधा केन्द्रों की स्थापना / प्रबंधन सुनिश्चित करना।	DEO/RO/ARO	**30.06.2024 तक**
5.8–	Vulnerability उत्पन्न करने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध निवारक / वैध कार्रवाई (Preventive/Legitimate) पूर्ण करना। (जिला प्रशासन / पुलिस प्रशासन द्वारा)	DM/SSP/SP	**30.06.2024 तक**

6.7–	RO के द्वारा EVM Commissioning (Candidate Setting) का कार्य करना। ECIL के अधिकृत इंजीनियरों के द्वारा Commissioning के दौरान नियमानुसार विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए RO के निर्देशन में SLU का प्रयोग कर Symbol Loading करना, Commissioning (Candidate Setting) प्रक्रिया के दौरान भी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से लिखित में आमंत्रित करना। (ईवीएम मैनुअल अध्याय–8)	RO/ARO	**30.06.2024 से 01.07.2024 तक अथवा कार्य की समाप्ति तक।**
6.8–	EVM Commissioning (Candidate Setting) के दौरान प्रत्येक EMV & VVPAT में प्रत्येक अभ्यर्थी को (नोटा सहित) एक–एक वोट डालकर चैक/परीक्षण करना, तथा Mock Poll Data को क्लीयर करना एवं वीवीपीएटी ड्रॉप बॉक्स से प्रिन्ट स्लिप हटाना। Mock Poll print Slips को दैनिक आधार पर Paper Shredding मशीन से अनिवार्य रूप से नष्ट करना।	RO/ARO	**30.06.2024 से 01.07.2024 तक अथवा कार्य की समाप्ति तक।**
6.9–	EVM Commissioning (Candidate Setting) के दौरान कुल कंट्रोल यूनिट का 5% Randomly Selected मशीनों में 1000 वोट डाल कर Mock Poll सम्पादित करना। उक्त प्रक्रिया के दौरान उपस्थित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता या अधिकृत प्रतिनिधि से भी Mock Poll में प्रतिभाग करने का अनुरोध करना। Mock Poll के पश्चात प्रिन्ट पेपर स्लिप एवं सीयू के डिजिटल रिजल्ट का अभ्यर्थीवार डाले गए मतों से मिलान करना। (ईवीएम मैनुअल अध्याय–8)	RO/ARO	**30.06.2024 से 01.07.2024 तक अथवा कार्य की समाप्ति तक।**
6.10–	5% Randomly Selected मशीनों में 1000 वोट डाल कर Mock Poll की प्रक्रिया सम्पादित करने के पश्चात इन कंट्रोल यूनिट को Clear करना एवं वीवीपीएटी ड्रॉपबॉक्स से पिंट पेपर स्लिप हटा कर ड्रॉपबॉक्स को खाली करना। Mock Poll की सभी Mock Poll print Slips को दैनिक आधार पर Paper Shredding मशीन से अनिवार्य रूप से नष्ट करना। (ईवीएम मैनुअल अध्याय–8)	RO/ARO	**30.06.2024 से 01.07.2024 तक अथवा कार्य की समाप्ति तक।**

6.11–	5% Randomly Selected जिन मशीनों में 1000 वोट डाल कर Mock Poll की प्रक्रिया सम्पादित की गयी थी उन CU की बैटरी, VVPAT की बैटरी एवं थर्मल पेपर रोल को अनिवार्य रूप से बदलकर इन मशीनों में नई बैटरी एवं नया थर्मल पेपर रोल स्थापित करना। (ईवीएम मैनुअल अध्याय–8)	RO/ARO	**30.06.2024 से 01.07.2024 तक अथवा कार्य की समाप्ति तक।**
6.12–	मा. उच्चत्तम न्यायालय में योजित रिटयाचिका संख्या–434/2023 में पारित मा. न्यायालय के आदेश दिनांक 26 अप्रैल, 2024 के अनुपालन में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–51/8/INST /2024-EMS दिनांक 29 अप्रैल, 2024 के अनुसरण में Commissioning के दौरान प्रयुक्त SLUs को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार RO द्वारा अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।	RO/ARO	**30.06.2024 से 01.07.2024 तक अथवा कार्य की समाप्ति तक।**
6.13–	Commissioning का कार्य सम्पन्न होने के पश्चात रिटर्निगं ऑफिसर द्वारा आयोग के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29 अप्रैल, 2024 में जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए SLUs को DEO को सौंप दिया जाएगा और DEO द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/प्रोटोकॉल के अनुसार निर्वाचन याचिका अवधि (मतगणना परिणाम की घोषणा से **45 दिन** की अवधि के अन्तर्गत) अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में स्ट्राँग रूम में रखा जाएगा।	RO/DEO	**30.06.2024 से लगभग 30.08.2024 तक।**
9.9–	सुविधा केन्द्र/केन्द्रों पर मतदान की सुविधा/ प्रक्रिया के संदर्भ में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को लिखित में विस्तारपूर्वक सूचित करते हुए उनसे उक्त प्रक्रिया में प्रतिभाग कर स्वयं अनुश्रवण करने अथवा अपने किसी प्रतिनिधि को प्रतिभाग करने के लिए अधिकृत करने का अनुरोध करना।	DEO/RO	**30.06.2024 तक**
14.2–	लोक सभा सामान्य निर्वाचन की भाँति विधान सभा उप निर्वाचन के लिए भी प्रत्येक मतदेय स्थलवार विस्तृत **बूथ लेबल हेल्थ मैनेजमेंट प्लान** (BHMP) तैयार करना तथा उसकी प्रति प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना।	DEO/RO/CMO	**30.06.2024 तक**

15.2–	Webcasting के लिए चिन्हित मतदेय स्थलों की सूची (Latitude & Longitude सहित) तथा वेबकॉस्टिंग के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर नियुक्त कार्मिकों की सूची उनके मोबाइल नम्बर सहित मु.नि.अ. कार्यालय एवं Webcasting Vendor को उपलब्ध कराना।	DEO/RO	**30.06.2024 तक**
17.1–	ETPB की प्री–कांउटिंग के अन्तर्गत QR कोड स्केनर से स्केनिंग किए जाने हेतु आवश्यक संख्या में QR कोड स्केनर की व्यवस्था करना।	DEO/RO	**30.06.2024**
7.7–	**ANNEXURE-12** पर सूचीबद्ध अनुपस्थित श्रेणी के सभी मतदाताओं को Home Voting के लिए मतदान हेतु निर्धारित तिथि एवं समय के बारे में सूचित करना।	RO/ARO/BLO	**01.07.2024 03.07.2024**
8.7–	मतदान के लिए मतदेय स्थलों के प्रयोगार्थ निर्वाचक नामावली की Working Copy/Marked Copy तैयार करना (कम से कम चार कॉपी)	DEO/RO	**01.07.2024 से 05.07.2024**
8.8–	जिला निर्वाचन कार्यालय, रिटर्निगं आफिसर, सहायक रिटर्निगं आफिसर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय तथा बीएलओ को अद्यावधिक निर्वाचक नामावली की प्रति उपलब्ध कराना।	DEO/RO	**01.07.2024**
9.3–	मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण स्थल पर मतदान कार्मिकों, सुरक्षा कर्मियों, ड्राईवर–क्लीनर एवं कंडक्टर आदि के लिए सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) बूथ की स्थापना करना।	DEO/RO	**01.07.2024 तक**
14.4–	मतदान पार्टियों के आवागमन हेतु हल्के/भारी वाहनों का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा–160 के अन्तर्गत अधिग्रहण आदेश जारी करना।	DEO/ Nodal Transport	**01.07.2024 तक**
17.3–	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ता को मतगणना की तिथि एवं समय तथा मतगणना स्थल के सम्बन्ध में **ANNEXURE-B** पर लिखित सूचित करते हुए सूचना की प्राप्ति लेना।	DEO/RO	**01.07.2024 तक**
17.4–	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए आवश्यक संख्या में **प्ररूप–18** उपलब्ध कराते हुए प्राप्ति लेना। (डुप्लीकेट में भरा जाएगा)	DEO/RO	**01.07.2024 तक**

17.5–	मतगणना भवन/केन्द्र–हॉल के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित ANNEXURE-E पर प्रस्ताव की प्रति निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराना	DEO/RO	**01.07.2024 तक**
4.7–	मतदान कार्मिकों (Micro Observer सहित) की **Second Training** सम्पूर्ण मतदान दल माइक्रो ऑब्जरबर सहित सेक्टर मजिस्ट्रेटों की उपस्थिति मे, छोटे–छोटे बैच में, मास्टर ट्रेनरों द्वारा EVM की Hands on Training के साथ–साथ ट्रेनिंग सेन्टर में स्थापित सुविधा केन्द्र में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की व्यवस्था करना।	DEO/RO	**02.07.2024 एवं 03.07.2024**
7.8–	**Home Voting के लिए मतदान दल का प्रथम भ्रमण** एवं मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना सभी पात्र मतदाताओं के घर–घर जाकर मतदान प्रक्रिया सम्पादित करना।	Polling Team	**02.07.2024 से 04.07.2024**
9.4–	सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) पर मतदान कार्मिकों, सुरक्षा कर्मियों एवं ड्राईवर–कलीनर आदि को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान सम्पादित करवाना।	DEO/RO	**02.07.2024 एवं 03.07.2024**
9.7–	सुविधा केन्द्र पर प्रत्येक दिन डाले गए डाक मतपत्रों से संबंधित लिफाफों (फार्म–13सी कबर–बी) को मतदान की समाप्ति पर बड़े सूती बैग में रख कर सील करना और बैग के बाहर से मतदान की तारीख, कुल डाक मतपत्र आदि पूर्ण विवरण अंकित कर बैग को RO को उपलब्ध कराना तथा इसका समुचित लेखा रखना।	RO/ Polling Team/ Nodal Officer	**दिनांक 02.07.2024 से सुविधा केन्द्र पर मतदान के लिए नियत अंतिम तिथि तक निरन्तर।**
9.8–	सुविधा केन्द्र पर मतदान की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाना (मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने के आयोग के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन करते हुए)	DEO/RO	**02.07.2024 से सुविधा केन्द्र पर प्रत्येक मतदान दिवस पर**
15.3–	Webcasting के लिए नियुक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।	DEO/RO/Vendor	**02.07.2024 तक**
15.4–	Webcasting Vendor द्वारा Power Bank सहित Web Camera आदि उपकरण जनपद के नोडल ऑफिसर को उपलब्ध कराना।	Vendor/DEO/RO	**02.07.2024 तक**
7.9–	**Home Voting के लिए मतदान दल का द्वित्तीय भ्रमण** एवं मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना सभी पात्र मतदाताओं के घर–घर जाकर मतदान प्रक्रिया सम्पादित करना।	Polling Team	**04.07.2024 से 06.07.2024**

5.9–	सर्वाधिक Vulnerable क्षेत्रों की पहचान के पश्चात जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार आदि द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र भ्रमण कर जन सामान्य में विश्वास जगाना (Confidence Building)	DM/SSP/SP RO	**05.07.2024 तक**
8.9–	मतदान के लिए मतदेय स्थलों के प्रयोगार्थ निर्वाचक नामावली की Working Copy/ Marked Copy + Alphabetical Roll को निर्वाचन सामग्री के किट में बंद करना।	DEO/RO	**05.07.2024 तक**
14.5–	अधिग्रहीत वाहनों को निर्वाचन ड्यूटी के लिए निर्धारित स्थान पर उपलब्ध कराना।	Nodal transport	**05.07.2024 तक**
14.6–	सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट सहित मतदान पार्टियों के आवागमन के लिए अधिग्रहीत/ प्रयुक्त वाहनों पर अनिवार्य रूप से GPS Device **स्थापित करना** (EVMs Tracking हेतु)	Nodal transport/ Vendor	**05.07.2024 से 06.07.2024 तक**
15.5–	Nodal Officer Webcasting की देख–रेख में Webcasting के लिए मतदेय स्थलवार नियुक्त कार्मिकों के माध्यम से Dry Run करना।	DEO/RO/ Nodal officer/ Vendor	**05.07.2024 तक**
17.7–	मतगणना कार्मिकों (मतगणना सुपरवाईजर, मतगणना सहायक एवं माईक्रो ऑब्जरबर) की नियुक्ति हेतु **प्रथम रेण्डामाईजेशन** की कार्यवाही एवं तदनुसार नियुक्ति आदेश जारी करना।	DEO	**05.07.2024**
4.8–	मतदान कार्मिकों का **Third Randomization** करना, Order Generate करना एवं समस्त कार्मिकों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करना।	DEO/RO	**06.07.2024 से 08.07.2024**
5.10–	Vulnerable क्षेत्रों में CAPF द्वारा Pre-poll area Domination.	DM/SSP/SP CAPF	**06.07.2024 तक दो–तीन बार**
8.13–	BLO के अवितरित एवं अवशेष VIS (वोटर इन्फॉरमेशन स्लिप) Voter Guide Books के साथ–साथ त्रुटिरहित ढंग से तैयार की गयी ASD List को विधिवत रूप से RO को सौंपना।	BLO/RO	**06.07.2024 को पूर्वान्ह 10:00 बजे तक**
8.14–	BLO से प्राप्त अवितरित एवं अवशेष VIS (वोटर इन्फॉरमेशन स्लिप) को RO द्वारा विधिवत सील कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखना।	RO	**06.07.2024 मध्यान्ह 12:00 बजे तक**
8.15–	BLO से प्राप्त ASD List को प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरान्त RO द्वारा पीठासीन अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाने हेतु संबंधित नोडल ऑफिसर को बैग/किट में रखने के लिए उपलब्ध कराना।	RO/ Nodal Officer	**06.07.2024 मध्यान्ह 12:00 बजे तक**

17.8–	प्रथम रेण्डामाईजेशन के अनुसार जारी नियुक्ति आदेश के अनुरूप मतगणना कर्मियों का प्रथम प्रशिक्षण।	DEO	**06.07.2024**
17.9–	मतगणना केन्द्र पर समर्पित कन्ट्रोल रूम की स्थापना करना।	DEO	**06.07.2024**
4.9–	मतदान कार्मिकों की (माइक्रो ऑब्जरवर सहित) **Third Training / Doubt Clearing** (संदेह निवारण करना), मतदान सामग्री का वितरण तथा ट्रेनिंग सेन्टर में स्थापित सुविधा केन्द्र में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की व्यवस्था करना।	DEO/RO	**07.07.2024 से 08.07.2024**
9.5–	सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) पर तृतीय प्रशिक्षण के दौरान मतदान कार्मिकों, सुरक्षा कर्मियों एवं ड्राईवर–कलीनर आदि को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान सम्पादित करवाना।	DEO/RO	**07.07.2024 से 08.07.2024**
9.6–	RO कार्यालय में सुविधा केन्द्र सामान्य कार्यालय समय के दौरान (10–5 बजे) P-3 से P-1 तक स्थापित कर कार्यशील रखना।	DEO/RO	**07.07.2024 से 09.07.2024**
14.7–	मतदान कार्मिकों (आरक्षित सहित)/सुरक्षा कार्मिकों आदि को आयोग के पत्र संख्या–464/INST /EPS/2023/ Remuneration & TA/DA Dated: 6th June, 2023 में जारी निर्देशानुसार Remuneration, TA/DA & Packed Lunch का अग्रिम भुगतान करना (सामग्री वितरण के समय)	DEO/SSP/SP/RO	**07.07.2024 से 09.07.2024 तक**
1.18–	अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय बॉर्डर सील करना।	DM/SSP/SP	**08.07.2024 सांय 06.00 बजे**
4.10–	मतदान पार्टियों का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान सामग्री, ईवीएम के साथ पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सहित अधिकृत वाहन से मतदेय स्थलों के लिए प्रस्थान।	DEO/RO/ Sector Officers	**08.07.2024 एवं 09.07.2024 (P-2 & P-1)**
15.6–	Webcasting के लिए चिन्हित प्रत्येक मतदेय स्थल पर अधिकृत कार्मिकों के द्वारा मतदान दिवस पर Webcasting के लिए Web Camera स्थापित करना एवं पुनः Dry Run करना।	DEO/RO/ Nodal officer/ Vendor	**08.07.2024 एवं 09.07.2024**
17.10–	स्ट्राँग रूम से मतगणना हॉल तक EVM मशीन (कंट्रोल यूनिट) को पहुँचानें के लिए मेजवार आवश्यक संख्या में MTS/Group D स्टॉफ की तैनाती करना।	RO/ARO	**08.07.2024**

17.11–	स्ट्राँग रूप से मतगणना हॉल तक EVM मशीन (कंट्रोल यूनिट) के ट्रांसपोर्टेशन की सतत निगरानी हेतु इस पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी से कवर्ड करना। यह सुनिश्चित करना कि यह पैदल पथ पूर्ण रूप से निर्वाध हो इसमें किसी प्रकार का कोई क्रॉस आवागमन न हो।	DEO/RO	**08.07.2024**
17.12–	आवश्यक संख्या में **फार्म–17सी (भाग–2)** जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम प्रि–प्रिन्टेड हो प्रत्येक मेज के लिए चक्रवार व्यवस्था करना।	RO/ARO	**08.07.2024**
17.13–	मतगणना केन्द्र पर निर्वाध रूप से हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था करना। (निर्वाध रूप से इंटरनेट की सुचारू व्यवस्था हेतु इंटरनेट की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अलग–अलग सर्विस प्रोवाइडर का कनेक्शन लिया जाय)	DEO/RO	**08.07.2024**
17.14–	मतगणना हॉल में मतगणना परिणाम के चक्रवार एवं अभ्यर्थीवार प्रदर्शन हेतु बड़े साईज ब्लेक बोर्ड/सफेद बोर्ड एवं टीवी आदि की व्यवस्था करना।	DEO / RO	**08.07.2024**
17.15–	मतगणना के पश्चात कंट्रोल यूनिट की बैटरी हटाना एवं पुनः सील करने एवं वी.वी.पी.ए.टी. से प्रिन्ट पेपर स्लिप्स हटाने एवं उन्हें निर्धारित काला रंग के लिफाफे में रख कर सील्ड करने के लिए पर्याप्त संख्या में कार्मिकों की तैनाती तथा अन्य आवश्यक प्रबंध करना।	DEO/RO	**08.07.2024**
17.16–	मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को समय–समय पर चक्रवार मतगणना परिणाम संबंधी सूचनाओं के प्रेषण के लिए समर्पित नोडल अधिकारी (Dedicated Nodal Officer) की तैनाती।	DEO/RO	**08.07.2024**
17.17–	मतगणना केन्द्र पर निर्वाध रूप से निरन्तर विद्युत की आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करना।	DEO/RO	**08.07.2024**
17.18–	मतगणना केन्द्र पर पेयजल की निर्वाध सुचारू व्यवस्था के साथ–साथ शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था।	DEO/RO	**08.07.2024**
16.1–	समस्त मतदान पार्टियों के ईवीएम एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्वाचन सामग्री सहित पूर्ण सुरक्षा बल के साथ सकुशल निर्धारित मतदेय स्थल पर पहुंचने की सूचना।	DEO/RO	**09.07.2026 को अपरान्ह 05:00 बजे तक**

16.2–	मतदान दिवस पर पूर्वान्ह 06:30 बजे से Mock Poll प्रारम्भ करना एवं निर्धारित अवधि के अन्तर्गत Mock Poll सम्पन्न कराने के पश्चात, CU से Mock Poll Data Clear करने एवं वीवीपीएटी ड्रॉप बॉक्स से Mock Poll Slips हटाने की प्रक्रिया का अनुपालन करने के उपरान्त पूर्वान्ह 08:00 बजे से वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने की सूचना।	DEO/RO	**10.07.2024 को पूर्वान्ह 08:30 बजे तक**
16.3–	मतदान दिवस पर प्रत्येक 02:00 घण्टे में मतदान के प्रतिशत की सूचना प्रेषित करना एवं PDMS & ENCORE में अपडेट करना। 1–08.00 से 09.00 बजे तक की 2–09.00 से 11.00 बजे तक की 3–11.00 से 01.00 बजे तक की 4–01.00 से 03.00 बजे तक की 5–03.00 से 05.00 बजे तक की 6–05.00 से 06.00 बजे तक की 7–सातवीं अंतिम सूचना 06.00 बजे से मतदान की समाप्ति तक की।	DEO/RO/Sector Officer/Control Room	**10.07.2024 को** **1–प्रथम–09:30 तक** **2–दूसरी–11:30 तक** **3–तीसरी–01.30 तक** **4–चौथी –03.30 तक** **5–पांचवी–05.30 तक** **6–छटवीं–06.30 तक** **7–सातवी–07.00 तक**
16.4–	रिटर्निगं ऑफिसर हस्तपुस्तिका के अध्याय–13 के प्रस्तर–13.65 के अनुसार मतदान के दिन रिटर्निगं ऑफिसर के द्वारा ANNEXURE-29 पर विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित करना।	DEO/RO	**10.07.2024 को** **1–अपरान्ह 01:00 बजे,** **2–अपरान्ह 07:00 बजे मतदान की समाप्ति पर** **3–11.07.2024 को पूर्वान्ह 07:00 बजे एवं** **4–मतदान पार्टियों के सकुशल संग्रह केन्द्र पर लौटने के उपरान्त प्रेक्षक द्वारा पीठासीन अधिकारियों की डायरी आदि की संवीक्षा के तत्काल पश्चात।**
17.19–	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति हेतु पूर्ण रूप से भरे हुए प्ररूप–18 (फोटोग्राफ सहित) (डुप्लीकेट में प्राप्त करना।	DEO/RO	**विलम्बत्तम 10.07.2024 को अपरान्ह 05:00 बजे तक**

17.20–	मतगणना हॉल में तार की जाली से वैरिकेडिंग करना, पर्याप्त संख्या में कुर्सी, मतगणना मेज (RO, Observer, टेबुलेशन तथा कम्प्यूटर टेबल आदि सहित) तथा अन्य लेखन सामग्री / प्रपत्रों की मेजवार व्यवस्था करना।	DEO / RO	**10.07.2024 तक**
17.21–	रेण्डमली 05 मतदेय स्थलों की वीवीपीएटी पेपर स्लिप की गणना हेतु मतगणना हॉल में किसी एक मेज को वीवीपीएटी कांउटिंग बूथ के रूप में तैयार करना (साईज 6X6X8 फीट, लम्बाई x चौड़ाई x ऊँचाई जो चारों ओर एवं ऊपर की ओर से भी तार जाली से कवर्ड हो तथा प्रवेश निकास के लिए केवल एक जालीदार 2.5 फीट का दरवाजा जिसे कुंडी से बंद करने की पूरी व्यवस्था हो जैसा बैंक का कैश कांउटर होता है)	DEO/RO	**10.07.2024 तक**
17.22–	मतगणना हॉल में फोटोकॉपियर मशीन, एवं डाटा कम्पाईलेशन / ENCORE में चक्रवार डाटा अपडेट करने के लिए इंटरनेट सुविधायुक्त कम से कम दो कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	DEO/RO	**10.07.2024**
17.23–	मतगणना हॉल में मतगणना अभिकर्ताओं की बैठने की व्यवस्था। (आयोग के निर्देशानुसार राजनैतिक दलों की श्रेणीवार)	DEO/RO	**10.07.2024**
17.24–	पोस्टकार्ड साईज के सफेद कागज पर, जिसके शीर्ष में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम एवं मतदान का दिनांक प्रि–प्रिन्टेड हो एवं इसी कागज पर मध्य में (Center) 1" x 1" साईज में मतदेय स्थल का नम्बर प्रिन्ट कर पर्चियां तैयार करना। (Randomly Selected 5 PS की VVPAT Slips की Mandatory Counting के Draw of Lots हेतु)	DEO/RO	**10.07.2024**
17.25–	वीवीपीएटी कांउटिंग बूथ के ऊपर मध्य में जाली के अन्दर सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित करना।	DEO/RO	**10.07.2024**
17.26–	मतगणना हॉल एवं परिसर में आयोग के निर्देशानुसार सी.सी.टी.वी. स्थापित करना, एवं उनके डिस्पले के लिए टीवी स्थापित करना।	DEO/RO	**10.07.2024**
17.27–	मतगणना केन्द्र में मीडिया सेन्टर एवं कार्यालय संचार कक्ष तथा जनसंचार कक्ष की व्यवस्था / स्थापना करना ।	DEO/RO	**10.07.2024**

17.28–	प्रत्येक मतगणना मेज पर एक माईक्रो ऑब्जरबर की तैनाती के अलावा, प्रेक्षक की सहायता हेतु प्रत्येक मतगणना हॉल में **दो** अतिरिक्त माईक्रो ऑब्जरबर एवं **एक** मतगणना सहायक की नियुक्ति सुनिश्चित करना। 1. **प्रथम माईक्रो ऑब्जरबर** चक्रवार चक्रवार मतगणना शीट की जांच करने में, प्रेक्षक की सहायता करेगा। 2. **द्वित्तीय माईक्रो ऑब्जरबर** कम्प्यूटर में चक्रवार एवं अभ्यर्थीवार मतगणना परिणाम की डाटा इंट्री के कार्य पर सतत निगरानी रखेगा। 3. **अतिरिक्त मतगणना सहायक** प्रत्येक चक्र की गणना के फलस्वरूप प्रेक्षक द्वारा Randomly Selected दो सीयू की समानांतर गणना के लिए प्रेक्षक की सहायता करेगा।	DEO/RO	**10.07.2024**
16.5–	VTR-01 & VTR-02 पर वोटर टर्न आउट की मतदेय स्थलवार विस्तृत रिपोर्ट 31 कॉलम में तैयार कर प्रेषित करना।	DEO/RO	**11.07.2024 अपरान्ह 05:00 बजे तक**
17.6–	मतदान दिवस पर कदाचित यदि किसी मतदेय स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉकपोल का डाटा नहीं हटाया गया है तो ऐसे मतदेय स्थलों की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार सूची तैयार करते हुए इस सूची को निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ साझा करना।	DEO/ARO	**12.07.2024**
17.29–	मतगणना कार्मिकों (मतगणना सुपरवाईजर, मतगणना सहायक एवं माईक्रो ऑब्जरबर) की नियुक्ति हेतु **द्वित्तीय रेण्डामाईजेशन** की कार्यवाही एवं तदनुसार नियुक्ति आदेश जारी करना।	DEO/RO	**12.07.2024**
17.30–	मतगणना कर्मियों का द्वित्तीय प्रशिक्षण एवं द्वित्तीय रेण्डामाईजेशन के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करना (द्वित्तीय प्रशिक्षण के दौरान ही द्वित्तीय रेण्डामाईजेशन के फलस्वरूप जनरेट नियुक्ति आदेश मतगणना कर्मियों को तामील किए जांय।)	DEO/RO	**12.07.2024**

17.31–	निर्धारित तिथि एवं समय तक प्रारूप–18 में विधिवत प्राप्त मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति संबंधी आवेदन पत्रों के अनुसार मतगणना अभिकर्ताओं के प्रवेश पत्र (पास) तैयार करना।	RO	**12.07.2024 तक**
17.32–	मतगणना केन्द्र त्रिस्तरीय सुरक्षा मानकों के अन्तर्गत प्रथम स्तरीय सुरक्षा घेरे के रूप में 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत पैदल क्षेत्र (Pedestrian Zone) निर्धारित करना एवं वैरिकेडिंग कर यहां पर स्थानीय पुलिस बल की तैनाती करना।	DEO + SSP	**12.07.2024**
17.33–	मतगणना केन्द्र के द्वितीय सुरक्षा घेरे के रूप में मतगणना भवन के मुख्य गेट पर राज्य सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती करना एवं यहाँ पर DFMD की व्यवस्था सहित FRISKING की पूर्ण व्यवस्था करना।	DEO + SSP	**12.07.2024**
17.34–	तृतीय सुरक्षा घेरे के रूप में प्रत्येक मतगणना हॉल के प्रवेश द्वार पर केन्द्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल की तैनाती सुनिश्चित करना।	DEO + SSP+ Com.CAPF	**12.07.2024**
17.35–	मतगणना केन्द्र पर मोबाइल एवं अन्य प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को विधिवत जमा करने के लिए प्रवेश द्वारा के निकट/मीडिया सेन्टर के पास कक्ष निर्धारित करना एवं प्रभावी व्यवस्था/कार्यवाही के लिए आवश्यक संख्या में कार्मिकों की तैनाती करना।	DEO/ARO	**12.07.2024**
17.37–	मतगणना केन्द्र पर चिकित्सा दल, एम्बुलेंस की तैनाती।	DEO + CMO	**प्रशिक्षण दिनों में तथा 12.07.2024 से 13.07.2024 तक**
17.36–	मतगणना कार्मिकों का **तृतीय रेण्डामाईजेशन** (प्रेक्षक की उपस्थिति में) सॉफ्टवेयर के माध्यम से अथवा मैनुअली लॉटरी के माध्यम से मतगणना केन्द्र पर।	RO	**13.07.2024 प्रातः 05:00 बजे**
18.1–	भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–464/ Counting Process/2023-EPS दिनांक 19 जुलाई, 2023 में जारी दिशा–निर्देशों, रिटर्निंग ऑफिसर हस्तपुस्तिका के अध्याय–15, 16 तथा ईवीएम मैनुअल–2023	DEO/RO	**13.07.2024 पूर्वान्ह 08:00 बजे से**

	के अध्याय–14 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में मतगणना प्रारम्भ करना।		
18.2–	सर्व प्रथम डाक मतपत्रों से गणना प्रारम्भ करना तथा साथ–साथ ईटीपीबी से प्राप्त डाक मतपत्रों के लिफाफों की स्केनिंग प्रारम्भ करना।	RO	**13.07.2024 पूर्वान्ह 08:00 बजे से**
18.3–	EVM (CU) में प्राप्त मतों की गणना प्रारम्भ करना।	RO	**13.07.2024 पूर्वान्ह 08:30 बजे से**
18.4–	मतगणना का चक्रवार परिणाम तैयार करना, उस पर RO एवं Observer के हस्ताक्षर के उपरान्त सूचना मु0नि0अ0 कार्यालय को प्रेषित करने के साथ–साथ ENCORE में भी अपडेट करना, चक्रवार परिणाम की घोषणा करना एवं ब्लेक/सफेद बोर्ड पर चक्रवार मतगणना का प्रदर्शन।	RO/OBS	**13.07.2024 प्रत्येक चक्र की गणना के फलस्वरूप मतगणना की समाप्ति तक**
18.5–	ऐसी ईवीएम जिनमें Mock Poll Data Clear नहीं किया गया, Mock Poll Slips नहीं हटायी गयी अथवा Close बटन नहीं दबाया गया और फार्म–17सी से टोटल मिलान नहीं होता है ऐसे सभी प्रकरणों पर आयोग के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19 जुलाई, 2024 में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही कर निर्णय लेना।	RO/OBS	**13.07.2024 सभी मतदेय स्थलों की ईवीएम की मतगणना की समाप्ति के पश्चात।**
18.6–	सभी मतदेय स्थलों की ईवीएम की मतगणना की समाप्ति के पश्चात डिस्पले न होने के कारण अलग रखी गयी मतदेय स्थलों की ईवीएम की वीवीपीएटी स्लिप की गणना करना (यदि कोई मामला हो)	RO/OBS	**13.07.2024**
18.7–	मतगणना की समाप्ति पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रेण्डमली सेलेक्टेड 05 मतदेय स्थलों की VVPAT Slips की गणना करना एवं सीयू के साथ रिजल्ट का मिलान करना।	RO/OBS	**13.07.2024 को सभी मतदेय स्थलों की ईवीएम की गणना की समाप्ति के पश्चात**
18.8–	मतगणना की समाप्ति पर त्रुटिरहित ढंग से सावधानी पूर्वक फार्म–20 पर अंतिम परिणाम तैयार करना।	RO/OBS	**13.07.2024**
18.9–	निर्वाचनों का संचालन नियम–1961 के नियम–64 में निहित प्राविधानों के अनुसार	RO	**13.07.2024**

	प्रारूप–21घ (21D) पर निर्वाचन के परिणाम की घोषणा करना।		**(ANNEXURE-V पर प्रेक्षक की लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरान्त)**
18.10–	निर्वाचनों का संचालन नियम–1961 के नियम–64 में निहित प्राविधानों के अनुसार प्रारूप–21ङ. (21E) पर निर्वाचन की विवरणी तैयार करना।	RO	**13.07.2024 मतगणना परिणाम की घोषणा के साथ**
18.11–	निर्वाचनों का संचालन नियम–1961 के नियम–66 में निहित प्राविधानों के अनुसार प्रारूप–22 पर निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाण–पत्र अनुदत्त करना एवं इसकी विधिवत नियत प्रारूप पर कम से कम दो प्रतियों में प्राप्ति रसीद लेना। प्राप्ति रसीद की एक मूल प्रति सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड को विशेष वाहक/पंजीकृत डाक से भेजना।	RO/Candidate	**13.07.2024 प्रारूप–21घ पर परिणाम की घोषणा के उपरान्त।**
18.14–	मतगणना की समाप्ति के पश्चात CU से बैटरी हटाना एवं विहित प्रक्रिया के अनुसार CU को पुनः सील करना।	RO/ARO	**13.07.2024**
18.15–	मतगणना की समाप्ति के पश्चात VVPAT से बैटरी हटाना (यदि कोई हो) एवं VVPAT Print Slip को ड्रॉपबॉक्स से निकालना तथा उन्हें मतदेय स्थलवार निर्धारित काले लिफाफों में रखकर सील करना। ध्यान रहे वीवीपीएटी के थर्मल पेपर रोल को नहीं निकाला जाएगा और न ही इस कम्पांर्टमेंट की सील को खोला जाएगा।	RO/ARO	**13.07.2024**
18.16–	आयोग के निर्देशानुसार मतगणना की समाप्ति के पश्चात सील्ड ईवीएम (बीयू एवं सीयू) को अलग स्ट्रांग रूम में तथा वीवीपीएटी को अलग कक्ष/हॉल में और अन्य अभिलेखों आदि को डबल लॉक में सुरक्षित रखना।	RO/DEO	**13.07.2024**
18.12–	निम्नलिखित प्रारूपों पर दो–दो प्रतियाँ मूल रूप से हस्ताक्षरित एवं दो–दो फोटो स्टेट प्रति (कुल चार प्रतियों में) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना :–	RO/DEO	**14.07.2024 को विशेष वाहक के माध्यम से तथा** प्रारूप–21घ (21D)

	1–प्रारूप–21घ (21D) हिन्दी एवं अंग्रेजी में निर्वाचन के परिणाम की घोषणा। 2–प्रारूप–21ड. (21E) हिन्दी एवं अंग्रेजी निर्वाचन की विवरणी। 3–प्रारूप–20 अंतिम परिणाम पत्र 4–चक्रवार मतगणना परिणाम (फोटो स्टेट दो प्रति में)		प्रारूप–21ड. (21E) की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति साफ–साफ रंगीन स्केन कर पीडीएफ दिनांक 13.07.2024 को तत्काल ई–मेल के माध्यम से भी
18.13–	उप निर्वाचन से संबंधित Index Card त्रुटि रहित साफ–स्वच्छ एवं पठनीय स्मार्ट हस्तलिपि (लिखावट) में तैयार करना एवं मूल में चार प्रतियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रेषित करना।	RO/DEO	**14.07.2024 को विशेष वाहक के माध्यम से**
11.2–	भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–464 /INST/EPS/2023 (Honorarium) दिनांक 06 जून, 2023 में जारी निर्देशों के प्रस्तर–B के अनुसार CAPF को मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करना।	PHQ/SSP/SP	**20.07.2024 तक**
18.17–	मतगणना परिणाम की घोषणा के 10 दिन पश्चात उक्त उप निर्वाचन के दौरान एफएलसी, Commissioning, Dispersal & Mock Poll तक की Non Functional Units (BU+CU+VVPAT को ईसीआईएल फैक्ट्री को भेजना।	RO/DEO	**24.07.2024 तक जनपदों से प्रस्थान करना चाहिए।**

नोटः– कॉलम–4 में जनपद अपनी सुविधा के तथा क्षेत्रीय भौगोलिक स्थिति के अनुसार उक्त प्रस्तावित अनुमानित तिथियों में परिवर्तन कर सकते हैं। कृपया तदनुसार परिवर्तन की सूचना मुख्यालय को भी ससमय उपलब्ध करानी आवश्यक होगी।

यह भी स्पष्ट करना है कि यह मात्र सांकेतिक कैलेण्डर (Indicative Calendar) है कृपया आयोग के तद् विषयक दिशा–निर्देशों के अनुसार ही समय–समय पर प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।